झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

आदेश

विषय :– निजी तकनीकी/प्रबंधन शिक्षण संस्थानों में नामांकन प्रक्रिया।

....

विभागान्तर्गत AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों एवं निजी प्रबंधन संस्थानों की नामांकन की प्रक्रिया का निरूपण विभागीय आदेश, ज्ञापांक–वि0प्रा0/नि0स0 6–31/10–879, दिनांक 08.05.2010 एवं विभागीय आदेश सं0 879, दिनांक 08.05.2010 (अनुशेष (Addendum), ज्ञापांक–वि0प्रा0/नि0स0 6–31/10– 851, दिनांक 06.04.2015 के साथ पठित) द्वारा किया गया है। इनमें से कतिपय प्रावधानों की प्रासंगिकता व्यतीत होने एवं कुछेक प्रावधानों के अस्पष्ट रहने के साथ–साथ AICTE के Approval Process Handbook, 2017-18 में उल्लेखित नवीन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत आदेशों को एतद् द्वारा संशोधित करते हुए वर्णित संस्थानों की नामांकन प्रक्रिया को निम्नानुसार निरूपित करने का निर्णय लिया गया है –

1) **स्नातक स्तरीय अभियंत्रण महाविद्यालय (प्रथम सेमेस्टर)** –

क) पूर्व की भाँति JCECEB, Ranchi द्वारा नामांकन प्रक्रिया यथावत रहेंगे।

ख) JCECEB, Ranchi के माध्यम से आयोजित साक्षात्कार से सीटे नहीं भरने की स्थिति में संस्थान द्वारा सीधे नामांकन हेतु सुयोग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि JCECEB, Ranchi द्वारा आयोजित साक्षात्कार, चयन एवं नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के उपरान्त संस्थान में शेष उपलब्ध सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन प्राप्त किये जाते हैं।

ग) विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त विभागीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को निजी संस्थानों में सीधे साक्षात्कार के आधार पर निम्न क्रमानुसार प्राथमिकता देते हुए तैयार मेधा सूची के अनुसार सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा –

i) JEE (Main) के Common Merit Rank

ii) JCECEB, Ranchi के Common Merit Rank

iii) Passed 10+2 examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the Chemistry/ Biotechnology/ Biology/ Technical Vocational subject and having obtained at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to reserved category) in the above subjects taken together.

2) **स्नातक स्तरीय अभियंत्रण महाविद्यालय** (Lateral Entry to 3rd Semester Engineering Course up to a maximum of 20% of "Approved Intake" which shall be over and above, supernumerary to the "Approved Intake", plus the unfilled vacancies of 1st year as per the Approval Process Handbook) –

क) JCECEB, Ranchi द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूर्व की भाँति यथावत रहेंगे।

ख) JCECEB, Ranchi के माध्यम से आयोजित साक्षात्कार से सीटे नहीं भरने की स्थिति में संस्थान स्तर पर सीधे नामांकन हेतु सुयोग्य एवं इच्छुक अभ्यिथियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु निजी संस्थान समाचार पत्रों में विज्ञापन देंगे जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि JCECEB, Ranchi द्वारा आयोजित साक्षात्कार, चयन एवं नामांकन प्रक्रिया के समाप्ति के उपरान्त संस्थान में उपलब्ध सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किया जाता है।

ग) संस्थान स्तर पर प्रतिनियुक्त विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को निम्न क्रम अनुसार प्राथमिकता देते हुए तैयार मेधा सूची से सुयोग्य अभ्यर्थी का चयन खुले साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा –

(i) JCECEB, Ranchi के Common Merit Rank

(ii) Passed Diploma examination from an AICTE approved Institution; with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in appropriate branch of Engineering/ Technology.

(iii) Passed B.Sc. Degree from a recognized University as defined by UGC, with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) and passed XII standard with mathematics as a subject, provided that the students belonging

to B.Sc. Stream, shall clear the subjects Engineering Graphics/ Engineering Drawing and Engineering Mechanics of the first year Engineering Programme along with the second year subjects.

3) **डिप्लोमा स्तरीय पोलिटेकनिक संस्थान (प्रथम सेमेस्टर)** –

क) JCECEB, Ranchi द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूर्व की भाँति यथावत रहेंगे।

ख) JCECEB, Ranchi के माध्यम से आयोजित साक्षात्कार से सीटे नहीं भरने की स्थिति में संस्थान स्तर पर सीधे नामांकन हेतु सुयोग्य एवं इच्छुक अभ्यिथियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु निजी संस्थान समाचार पत्रों में विज्ञापन देंगे जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि JCECEB, Ranchi द्वारा आयोजित साक्षात्कार, चयन एवं नामांकन प्रक्रिया के समाप्ति के उपरान्त संस्थान में उपलब्ध सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किया जाता है।

ग) विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त विभागीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को निजी संस्थानों में सीधे साक्षात्कार के आधार पर निम्न क्रम अनुसार प्राथमिकता देते हुए तैयार मेधा सूची के अनुसार सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा –

i) JCECEB, Ranchi के Common Merit Rank

ii) Passed 10th Std / SSC examination and having obtained at least 35% marks at the qualifying examination.

4) **डिप्लोमा स्तरीय पोलिटेकनिक संस्थान** (Lateral Entry to 3rd Semester Diploma Courses up to a maximum of 20% "Approved Intake" which shall be over and above, supernumerary to the "Approved Intake", plus the unfilled vacancies of 1st year as per the Approval Process Handbook) –

क) JCECEB, Ranchi द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूर्व की भाँति यथावत रहेंगे।

ख) JCECEB, Ranchi के माध्यम से आयोजित साक्षात्कार से सीटे नहीं भरने की स्थिति में संस्थान स्तर पर सीधे नामांकन हेतु सुयोग्य एवं इच्छुक अभ्यिथियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु निजी संस्थान समाचार पत्रों में विज्ञापन देंगे जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि JCECEB, Ranchi द्वारा आयोजित साक्षात्कार, चयन एवं नामांकन प्रक्रिया

के समाप्ति के उपरान्त संस्थान में उपलब्ध सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किया जाता है।

ग) विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त विभागीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को निजी संस्थानों में सीधे साक्षात्कार के आधार पर निम्न क्रम अनुसार प्राथमिकता देते हुए तैयार मेधा सूची के अनुसार सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा –

(i) JCECEB, Ranchi के Common Merit Rank

(ii) 12^{th} Science with Vocational / Technical

(iii) 10^{th} + (2 years ITI) with appropriate specialization

(iv) 12^{th} Science (with Mathematics as one of the Subject)

5) **प्रबंधन संस्थान (प्रथम सेमेस्टर / वर्ष) –**

क) AICTE से मान्यता प्राप्त विभागान्तर्गत सभी निजी प्रबंधन संस्थानों में CMAT के Merit List के आधार पर नामांकन हेतु JCECEB, Ranchi अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर मेधा सूची तैयार करेगा एवं उस आधार पर दो चक्र साक्षात्कार आयोजित कर नामांकन की अनुशंसा करेगा।

ख) JCECEB, Ranchi द्वारा दो (02) चक्र साक्षात्कार एवं नामांकन की प्रक्रिया के उपरान्त रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया निम्न होगी –

(i) सभी निजी प्रबंधन शिक्षण संस्थान अपने संस्थान में रिक्त सीटों की सूचना के साथ CMAT / MAT / XAT / CAT के Score तथा AICTE द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले एवं MBA / PGDM की पढाई करने को इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन देगे। इस विज्ञापन में यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि JCECEB, Ranchi द्वारा आयोजित साक्षात्कार, चयन एवं नामांकन प्रक्रिया समाप्ति के उपरान्त संस्थान में उपलब्ध सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

(ii) विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रत्येक निजी प्रबंधन संस्थान प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार मेधा सूची अनुसार संस्थान स्तर पर निम्न क्रमानुसार प्राथमिकता देते हुए विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में मात्र एक चक्र चयन / नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे –

क) CMAT Score

ख) MAT / XAT / CAT Score का समतुल्य

ग) AICTE द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता (Recognized Bachelors Degree of minimum 3 years duration and obtained atleast 50% marks (45% in case of candidate belongs to reserved category) at qualifying exam marks) के आधार पर

6) JCECEB, Ranchi द्वारा आयोजित दो (02) चक्र साक्षात्कार झारखण्ड सरकार के आरक्षण नीति के तहत आयोजित किया जायेगा, इसके उपरान्त नामांकन आरक्षण रहित होगा।

7) संस्थान स्तर पर आयोजित सीधे साक्षात्कार के आधार पर नामांकन में राज्य के छात्रों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के छात्रों को भी नामांकन का अवसर प्राप्त होगा।

8) संस्थान स्तर पर आयोजित होने वाले सीधे साक्षात्कार के पूर्व विभाग द्वारा निजी तकनीकी/प्रबंधन संस्थानों में रिक्त सीटों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन दिया जायेगा।

9) Lateral Entry के तहत नामांकन हेतु द्वितीय वर्ष/3rd Semester में SMQ के अन्तर्गत कोई कोटा नहीं होगा।

10) बिना विभागीय अनुमति के सीधे संस्थान स्तर पर लिया गया नामांकन अवैध माना जायेगा एवं ऐसा करने वाले निजी संस्थानों की मान्यता समाप्त करने हेतु AICTE एवं संबंद्धता समाप्त करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड को अनुशंसा भेज दी जायेगी।

11) संस्थान स्तर पर सीधे साक्षात्कार के माध्यम से नामांकन हेतु अनुशंसित/चयनित अभ्यर्थियों की सूची उसके नाम, जन्म तिथि, शाखा, नामांकन का आधार (प्रतियोगिता परीक्षा रैंक/न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वाले परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत) आदि विवरणी के साथ विभागीय प्रतिनिधि एवं संस्थान प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर सहित दो प्रतियों में विभाग को साक्षात्कार की तिथि के अगले दिन विशेषदूत द्वारा उपलब्ध कराना होगा, जिसे तकनीकी शिक्षा निदेशालय संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड को प्रेषित करेगा।

12) प्रत्येक वर्ष Lateral Entry के अन्तर्गत नामांकन हेतु मार्च माह में AICTE से मान्यता प्राप्त प्रत्येक निजी तकनीकी संस्थान अपने प्रथम वर्ष के unfilled branch wise vacancy of 1st year (as per the Approval Process Handbook) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उनके प्रथम वर्ष हेतु Approved Intake का 20% seat के साथ उक्त Vacancy को जोड़कर Seat Matrix तैयार कर JCECEB, Ranchi को ससमय विभाग उपलब्ध करा सके।

उपरोक्त प्रक्रिया विभागान्तर्गत PPP Mode पर संचालित अभियंत्रण एवं डिप्लोमा संस्थानों के Payment Seat को भरने हेतु भी लागू होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : वि०प्रा० / नि०स०–18 / 14– 373 / रॉची, दिनांक : 03-5-17

प्रतिलिपि : विभागीय मंत्री के **आप्त सचिव** / सचिव के **प्रधान आप्त सचिव**, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, रॉची / **परीक्षा नियंत्रक**, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, रॉची / **निदेशक**, बी०आई०टी० सिन्दरी / **सचिव**, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, रॉची / **प्रभारी प्राचार्य**, सभी राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक / **निदेशक / प्राचार्य**, विभागान्तर्गत AICTE से मान्यता प्राप्त सभी निजी अभियंत्रण / पोलिटेकनिक / प्रबंधन / पी०पी०पी० मोड पर संचालित संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.5.17

(अजय कुमार सिंह)
निदेशक (तकनीकी शिक्षा)